

कार्यालय कलेक्टर जिला खरगोन एवं समूचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(उद्घोषणा)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम 2013

(कमांक-30 सन् 2013 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत)

कमांक/380/भू-अर्जन/2017

खरगोन, दिनांक 27-7-2017

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा-43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

: अनुसूची :-

1- भूमि का वर्णन:-


(क) जिला	खरगोन
(ख) तहसील	सनावद
(ग) ग्राम	भौमवाडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल	0.189

खसरा न.	रकबा (हे०में)
343	0.081
345	0.020
348	0.024
349 / 1	0.024
350 / 1	0.040
योग:-05	0.189

//2//

- 2- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- "सनावद-खण्डवा के मध्य आगान परिवर्तन कार्य हेतु" ।
- 3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडवाहा एवं, उप-मुख्य-इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अशोक कुमार वर्मा)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग,
जिला-खरगोन(म.प्र.)